संख्या 18 /2021 / 243 /चार-2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2021

विषय:-दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर में वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3168/ सं0नि0-15(34)/2020-21 , दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 तथा पत्र 3849/ सं0नि0-15(34)/2020-21 , दिनांक 27 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को गोरखपुर में आयोजित किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी कलाकारों हेतु रू0 10,83,400/- (रूपये दस लाख तिरासी हजार चार सौ मात्र) तथा सूक्ष्म जलपान एवं यातायात आदि की व्यवस्थाओं पर रू0 95343/- (रूपये पंचानबे हजार तीन सौ तेतालिस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 11,78,743/- (रूपये ग्यारह लाख अट्ठहत्तर हजार सात सौ तेतालिस मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-16-नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों स्थापना-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 18 /2021 / 243 /चार-2021 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।